पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0नं0– 3-06
क्रमांक– 62/2017
आरबीई सं0– /2017
सं0 ई/3/10/भाग–VII/चार

दिनांक 7–04–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:–सेवानिवृत्ति के पश्चात पुर्ननियोजित सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की टीए/डीए प्रदान करना।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या एफ(ई)।/2015/एएल–28/58 दिनांक 16.03.2017 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

07.04.17
(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
5– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

07.04.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

R-12

20 MAR 2017

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Railways/Rail Mantralaya
(Railway Board)

RBE No. 24/17

No. F(E)I/2015/AL-28/58

New Delhi, dated 16.03.2017.

General Managers,
All Indian Railways etc,
(As per Standard Mailing List)

Sub: Grant of TA/DA to retired Railway servants, re-engaged after retirement.

Ref: CORE, Allahabad's letter No. CORE/E/1/19/ENGAGEMENT/PART-1 dated 09.10.2015.

A clarification had been sought by CORE, Allahabad regarding admissibility of Travelling Allowance/Daily Allowance to retired Railway servants re-engaged after retirement when they are sent on duty outside the station/headquarter for project / field works.

2. The matter has been considered by Board and it has been decided that the retired Railway servants, re-engaged after retirement, when they are sent on duty outside the station/headquarter, may be paid, in addition to their usual daily wages/remuneration, daily allowance at the rate of 60% of the applicable Daily Allowance rate (as indicated in Board's letter No. F(E)I/2008/AL-28/14, dated 01/12/2008, as modified from time to time) corresponding to the pay drawn/post held by the retired Railway servant immediately prior to their retirement to meet out of pocket expenses. Such daily allowance will require the approval of SAG level officer.

3. Further, this will be subject to the other terms & condition as mentioned in chapter 16 of IREC Vol. II and will be regulated by the general/specific orders issued in this regard from time to time.

4. These orders shall take effect from 03/03/2017.

5. This disposes off CORE Allahabad's letter No. CORE/E/1/19/ENGAGEMENT/ PART-1 dated 09.10.2015.

6. Hindi version is enclosed.

7. Please acknowledge receipt.

(Sonali Chaturvedi)
Deputy Director Finance (Estt.),
Railway Board.

No.F(E)I/2015/AL-28/58

New Delhi, dated 16.03.2017

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (40 spares).

for Financial Commissioner/Railways.

Contd/...

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 24

सं. एफ(ई)I/2015/एएल-28/58

नई दिल्ली, दिनांक 16.03.2017

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें आदि,
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुर्ननियोजित सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को टीए/डीए प्रदान करना।

संदर्भ: कोर, इलाहाबाद का दिनांक 09.10.2015 का पत्र सं. कोर/ई/1/19/इंगेजमेंट/ पार्ट-1.

कोर, इलाहाबाद द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुर्ननियोजित रेलवे कर्मचारियों को परियोजना/फील्ड कार्यों के लिए स्टेशन/मुख्यालय से ड्यूटी पर बाहर भेजे जाने की स्थिति में उन्हें यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्रदान करने की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था।

2. बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुर्ननियोजित रेलवे कर्मचारियों को जब परियोजना/फील्ड कार्यों के लिए स्टेशन/मुख्यालय से ड्यूटी पर बाहर भेजा जाता है, तो उन्हें, उनकी सामान्य दैनिक मजूरी/पारिश्रमिक के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति से तत्काल पूर्व सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी द्वारा लिया जा रहा वेतन/धारित पद के तदनुरूपी दैनिक भत्ते दर (जैसा समय-समय पर संशोधित बोर्ड के दिनांक 01/12/2008 के पत्र सं. एफ(ई)I/2008/एएल-28/14 में इंगित किया गया है) के 60% की दर पर दैनिक भत्ते का भुगतान उनके जेब खर्च को पूरा करने के लिए किया जाए। इस दैनिक भत्ते के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

3. इसके अलावा, यह भारतीय रेल स्थापना संहिता खण्ड-II के अध्याय 16 में यथा-उल्लिखित अन्य नियम एवं शर्तों और समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए सामान्य/विशिष्ट आदेशों के द्वारा नियमित होगा।

4. यह आदेश 03/03/2017 से प्रभावी होंगे।

5. इस पत्र से कोर, इलाहाबाद के दिनांक 09.10.2015 के पत्र सं. कोर/ई/1/19/इंगेजमेंट/पार्ट-I का निपटान हो जाता है।

6. कृपया पावती दें।

(सोनाली चतुर्वेदी)
उप निदेशक वित्त (स्था.)
रेलवे बोर्ड